बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

ई–मेल– **budradmn22@gmail.com**

वेबसाईट– **www.bubhopal.ac.in एवं www.bu.mponline.gov.in**

संदर्भ :– विज्ञापन **(i)** क्र. 663 / प्रशा. / विज्ञापन / बैकलॉग / 2022
दिनांक 29 / 03 / 2022
विज्ञापन **(ii)** क्र. 664 / प्रशा. / विज्ञापन / बैकलॉग / 2022
दिनांक 29 / 03 / 2022

आवेदन की अंतिम तिथि 05 / 05 / 2022

शुल्क राशि– अनारक्षित रू. 750 / –
आरक्षित वर्ग रू. 500 / –
(SC/ST/OBC/EWS)

:: महत्वपूर्ण निर्देश ::

(विश्वविद्यालय के शिक्षकीय / गैर शिक्षकीय पदों पर सीधी भर्ती)
(यू.जी.सी. के रेग्युलेशन 2018 तथा संशोधित रेग्युलेशन–2021 के संदर्भ में)

1. रिक्त पदों की जानकारी सहित शुल्क विवरण / **On-Line** पंजीयन प्रपत्र/आवेदन प्रपत्र आदि समस्त जानकारियॉ विश्वविद्यालय की वेबसाईट **www.bubhopal.ac.in एवं www.bu.mponline.gov.in** पर उपलब्ध है। आगामी निर्देश भी समय–समय पर यहीं प्रदर्शित किए जाएंगे, अतः अभ्यर्थी वेबसाइट का नियमित अवलोकन करें।
2. वेबसाईट पर उपलब्ध पंजीयन पत्र को ऑनलाईन भरना एवं शुल्क जमा करना अनिवार्य है। इस पंजीयन पत्र की प्रति विस्तृत आवेदन पत्र के साथ अनिवार्यतः संलग्न किया जावे। इसके अभाव में आवेदन पत्र पर विचार नही किया जावेगा।
3. निर्धारित प्रपत्र में आवेदन (आवश्यक प्रमाण–पत्र, अंकसूची आदि की स्वयं सत्यापित छायाप्रतियों के साथ) **कुलसचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल–462026 के कार्यालय में व्यक्तिशः / स्पीडपोस्ट / रजिस्टर्ड डाक द्वारा कार्यालयीन समय में दिनांक 05 / 05 / 2022 तक जमा किये जाएँगे। डाक में विलम्ब का दायित्व विश्वविद्यालय का नही होगा। इसके उपरान्त आने वाले आवेदन पत्र स्वतः निरस्त माने जाएंगे।**
4. **शुल्क** :– आवेदन शुल्क अनारक्षित वर्ग के लिये रू. 750 तथा आरक्षित वर्ग (SC/ST/OBC/EWS) के लिये रू 500 (प्रति आवेदन) है, जिसे पंजीयन पत्र के साथ On-Line जमा किया जाना है। यह राशि वापसी योग्य नहीं होगी।
5. प्रेषक का पूर्ण नाम, पता लिफाफे के ऊपर अवश्य लिखें।
6. आवेदन पत्र के लिफाफे पर **''शैक्षणिक / अशैक्षणिक पद हेतु आवेदन''** विज्ञापन कमांक, पदनाम, पंजीयन कमांक एवं विषय का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये।
7. **पंजीयन प्रकिया :–**
   - (i) सर्व प्रथम विश्वविद्यालय की वेबसाईट **www.bubhopal.ac.in तथा www.bu.mponline.gov.in** पर पंजीयन पत्र को **On-Line** भरना तथा आवेदन शुल्क का On-Line भुगतान करें।
   - (ii) शुल्क राशि सफलतापूर्वक जमा होने पर QR CODE एवं आवेदन कमांक दिखेगा।
   - (iii) इसके उपरांत पंजीयन पत्र केवल ए–4 साइज के कागज पर प्रिंट करें, तथा इस पंजीयन पत्र की प्रति आवेदन पत्र के साथ (सबसे ऊपर) अनिवार्यतः संलग्न करें। इसके अभाव में आवेदन स्वतः निरस्त माना जावेगा।
   - (iv) एक से अधिक पद के लिए आवेदन करने पर अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक पद के लिए पृथक से शुल्क भुगतान कर, पंजीयन करना तथा आवेदन कमांक प्राप्त करते हुये पृथक आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

8. <u>आवेदन</u> :–

(i) प्रत्येक पद हेतु पृथक पंजीयन सहित केवल निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
(ii) आवेदन प्रपत्र विश्वविद्यालय की वेबसाईट **www.bubhopal.ac.in** तथा **www.bu.mponline.gov.in** से डाउनलोड कर केवल ए–4 साइज के कागज पर स्वतः प्रिंट करें।
(iii) आवेदन पत्र में प्रविष्टियॉ हिन्दी अथवा अंग्रेजी में स्पष्ट रूप से काले/नीले बाल पेन से अथवा टंकित भी की जा सकती है।
(iv) आवेदन पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर होना चाहिये।
(v) आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण–पत्र, अनुभव, शोध, प्रकाशन एवं अन्य जानकारी के समर्थन में संबंधित प्रमाण पत्रों की स्व–सत्यापित छाया प्रतियॉ (सूची सहित) संलग्न करना अनिवार्य है।
(vi) अपूर्ण/अस्पष्ट भरे हुए आवेदन मान्य नही किये जावेंगे।
(vii) आवेदन प्रपत्र के मूल स्वरूप में कोई भी परिवर्तन मान्य नही होगा। निर्धारित आवेदन पपत्र में आवेदन न करने पर उस पर विचार नहीं किया जाएगा।
(viii) पंजीयन शुल्क वापसी योग्य नही है।

9. **<u>आरक्षण की पात्रता :–</u>** म.प्र. के मूल निवासी एवं केवल "मध्यप्रदेश शासन के सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया गया अद्यतन प्रमाण–पत्र धारित करने वाले अभ्यर्थी ही आरक्षण (SC/ST/OBC/EWS/PH) का लाभ प्राप्त करने के पात्र होगें।" उपरोक्तानुसार जारी अद्यतन प्रमाण–पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। **<u>दिव्यांग (PH) एवं महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार दिया जायेगा।</u>**

10. **<u>न्यूनतम अर्हताएं एवं अन्य सेवा शर्तें</u>**

(i) विज्ञापित पदों हेतु न्यूनतम अर्हताएं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) के अनुसार होगी।

(ii) विज्ञापित पदों हेतु वेतनमान एवं अन्य सेवा शर्तें, विश्वविद्यालय में अद्यतन लागू नियमों के अनुसार होगी।

(iii) भारत के राजपत्र दिनांक 12 अक्टूबर 2021 में प्रकाशित तथा यू.जी.सी. के पत्र कमांक एफ. नं. 9–1/2010(PS/MISC)pt.Vol-II) दिनांक 12 अक्टूबर 2021 के अनुसार सहायक प्राध्यापक पद हेतु सीधी भर्ती के लिये पीएचडी उपाधि को दिनांक 01.07.2023 से अनिवार्य माना गया है। अतः वर्तमान में नेट/स्लेट योग्यता धारी अभ्यार्थी भी सहायक प्राध्यापक के लिये पात्र होगें।

(iv) यू.जी.सी. रेग्युलेशन 2018 तथा यू.जी.सी. रेग्युलेशन 2021 के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर पद हेतु विश्वविद्यालय के लिए विनिर्दिष्ट परिशिष्ट II (तालिका 3A) में यथा विनिर्दिष्ट शैक्षणिक प्राप्तांको पर केवल साक्षात्कार के लिए चुनने (Short Listed) हेतु विचार किया जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस हेतु समय समय पर जारी अधिसूचनाएं एवं विनियम का अवलोकन करें।

11. **<u>अपात्रता</u>** :– निम्नांकित व्यक्ति आवेदन एवं चयन हेतु पात्र नहीं होंगे:–

(i) न्यायालय द्वारा किसी अपराधिक प्रकरण में दण्डित अभ्यर्थी।
(ii) मध्यप्रदेश शासन के सक्षम अधिकारी के अतिरिक्त, किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए आरक्षण (SC/ST/OBC/EWS/PH) प्रमाण–पत्र धारी।
(iii) आवेदन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि पर न्यूनतम योग्यता धारित नहीं करने वाले अभ्यर्थी।
(iv) त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/भ्रामक जानकारी देने वाले तथा/अथवा जानकारी छुपाने वाले अभ्यर्थी।
(v) शासन/वि.वि. के किसी भी अन्य नियम के अंतर्गत शासकीय सेवा हेतु अपात्र अभ्यर्थी।

निरंतर...03....

12. अन्यत्र शासकीय सेवारत अभ्यर्थियों को पूर्व नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र आवेदन के साथ अथवा साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना होगा। इसके अभाव में आवेदक को साक्षात्कार से वंचित किया जाएगा।
13. रिक्त पदों की संख्या में किसी भी समय परिवर्तन करने तथा घोषित रिक्तियाँ निरस्त करने सहित, घोषित रिक्तियों पर चयन करने अथवा नहीं करने का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय को है।
14. प्रकाशित विज्ञापन एवं शर्तों में उल्लेखित न्यूनतम अर्हताओं को धारित करने मात्र से किसी अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु आमंत्रण अथवा चयन का अधिकार प्राप्त नहीं होता। उपयुक्त अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित करने तथा चयन हेतु आवश्यकतानुसार मापदंड निर्धारण करना विश्वविद्यालय का विशेषाधिकार है।
15. भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर, किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उसके परिमार्जन हेतु उचित कार्यवाही करने का अधिकार विश्वविद्यालय को है।
16. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (U.G.C.) के नियम आदि उनकी वेब साईट ugc.ac.in पर देखे जा सकते है।
17. किसी भी विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय विश्वविद्यालय का होगा।
18. न्यायिक विवाद के लिये न्यायिक क्षेत्राधिकार भोपाल शहर का होगा।
19. किसी जानकारी के लिये ई–मेल–**budradmn22@gmail.com** पर संपर्क किया जा सकता है।
20. संपूर्ण प्रक्रिया में आवश्यकतानुसार परिवर्तन/परिवर्धन/परिमार्जन करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा।

कुलसचिव
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल